

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -189/2014/जोधपुर

मैसर्स गिरजा एण्टरप्राइजेज कुडी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुरअपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वर्ड-चतुर्थ, वृत्त-बी, जोधपुरप्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम. चौपड़ा
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30.08.2016

निर्णय


1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर. (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 11/आरवैट/जेयूबी/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 82 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत दिनांक 31.03.2013 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क रुपये 5,000/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने अपील एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराया।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि विलम्ब शुल्क आरोपित किये जाने के संबंध में नियम 19ए का समावेश वेट नियम 2006 में दिनांक

लगातार.....2

राजीव चौधरी
30/08/16

09.03.2011 को किया जा चुका है तथा इसे दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी किया गया था। ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क का अधिरोपण दिनांक 01.04.2011 के बाद की अवधि के प्रकरणों में ही प्रभावी होगा। यह नियम 2011-12 के वित्तीय वर्ष के विवरण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ही प्रभावी होगा। वर्ष 2010-11 में विवरण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब करने की स्थिति में अधिनियम 2003 की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने के प्रावधान थे जो कि दिनांक 09.03.2011 से विलोपित किए जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2010-11 में धारा 58 प्रचलित थी न कि नियम 19ए। अतः नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। जबकि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 अनुसार कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
6. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उक्त तर्कों के परिपेक्ष में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2013 के विवरण प्रपत्र


30/08/16

प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया है।

8. इस सम्बन्ध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-


Rule 19A - where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of :

- (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and
(ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases.

9. माननीय उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है।

10. इस अधिनियम की धारा 58 दिनांक 09.03.2011 को विलोपित की जा चुकी है तथा वर्ष 2010-11 के समस्त रिटर्न प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.2012 तक बढ़ाई जा चुकी थी। यद्यपि यह अवधि दिनांक 09.03.2011 के पश्चात् की थी किन्तु बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना निरन्तरता को प्राप्त एक व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो विलम्ब शुल्क के प्रावधान प्रभावी हैं, उस विलम्ब शुल्क के प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क की राशि Quantify की जावेगी।


11. अपीलार्थी व्यवहारी को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिस्थिति में Consequential (पारिणामिक) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के


30/08/16

लगातार.....4

आधार पर की जायेगी। नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क अधिकतम रूपये 50,000/- होगी तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस अधिकतम रूपये 5,000/- होगी।

12. यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उक्त प्रावधानों अनुसार अधिकतम रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी रूपये 5,000/- विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।
13. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश एवं कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
14. निर्णय सुनाया गया।


30/08/16
(राजीव चौधरी)
सदस्य